ईमेल

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

विविध आदेश

क्रमांक–100 (एक-दो-01) 07 सागर, दिनांक 21 / 11 / 2024

इस कार्यालय द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के अवकाश पर रहने की दशा में जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु तथा उनके न्यायालय के अन्य आवश्यक कार्य के संबंध में जारी किये गये **प्रभार आदेश कमांक– 34(एक–दो–01) 07 सागर दिनांक– 10.04.2024** में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये आदेश के कमांक 1 में वर्णित प्रभार संबंधी कण्डिका विलोपित कर निम्नानुसार संशोधित कंडिका 1 जोड़ी जाती है, उक्त आदेश **दिनांक– 21.11.2024** से प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले नियमित जमानत आवेदन पत्र, अग्रिम जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई निम्नानुसार न्यायिक अधिकारी द्वारा की जावेगी :–

कं.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर**	**सोमवार :–** विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सागर उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर उनके अवकाश पर होने की दशा में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर
		मंगलवार :– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर उनके अवकाश पर होने की दशा में नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर उनके अवकाश पर होने की दशा में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर
		बुधवार :– नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर उनके अवकाश पर होने की दशा में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर उनके अवकाश पर होने की

21.11.2024

		दशा में विशेष न्यायाधीश विद्युत न्यायालय सागर
		गुरूवार :– विशेष न्यायाधीश विद्युत न्यायालय सागर उनके अवकाश पर होने की दशा में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर, उनके अवकाश पर होने की दशा में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर
		शुकवार :– विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सागर उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर उनके अवकाश पर होने की दशा में नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर
		शनिवार :– तृतीय सत्र न्यायाधीश, सागर, उनके अवकाश पर होने की दशा में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सागर, उनके अवकाश पर होने की दशा में षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर
		जमानत आवेदन पत्रों के अतिरिक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय का शेष कार्य हेतु प्रभार निम्नानुसार रहेगा :– **प्रथम प्रभार –** विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सागर, **द्वितीय प्रभार –** प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर **तृतीय प्रभार –** विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कमांक– 10 सागर एवं उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति या अवकाश पर होने की दशा में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर

नोटः– **(1)** उपरोक्तानुसार प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले आवेदन प्रथम प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत होंगी और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित की गई समझी जावेंगी, परन्तु यदि कोई पश्चातवर्ती द्वितीय या तृतीय नियमित

21.11.2024

जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत होता है तो ऐसा जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश के न्यायालय में जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया है, स्वमेव अंतरित माना जावेगा और उन्हीं के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा।

(2) यदि एक ही अपराध में किसी अन्य आरोपी का पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र या नियमित जमानत आवेदन पत्र किसी न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया जा चुका है, वहां पर उसी अपराध से संबंधित किसी अन्य सहआरोपी का नियमित जमानत आवेदन पत्र अथवा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, तो ऐसा जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश के समक्ष उक्त आवेदन पत्र स्वतः अंतरित माना जावेगा और ऐसे आवेदन की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीश के द्वारा की जाकर आवेदन का निराकरण किया जावेगा जिन्होने पूर्व में अपराध के अन्य आरोपी के जमानत आवेदन का निराकरण किया है।

(3) तालिका में वर्णित प्रथम न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में कमशः द्वितीय एवं तृतीय उपलब्ध कमानुसार न्यायिक अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होंगे और उनके न्यायालय में अंतरित समझे जावेंगे और उन्हीं न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत किये जावेंगे।

(4) प्रथम से तृतीय तक के न्यायिक अधिकारीगण के भी अवकाश पर होने की दशा में प्रथमतः विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय में तथा उनके अवकाश पर होने की दशा में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई की जावेगी।

(5) उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त प्रभार आदेश कमांक– 34(एक–दो–01) 07 सागर दिनांक– 10.04.2024 यथावत अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

21/11/2024

(एम.के.शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सागर

5998/24

दि. 21-11-24

प्रतिलिपि :–

(1) समस्त न्यायाधीशगण, न्यायिक जिला सागर,

(2) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सागर/बण्डा/देवरी/रहली/बीना/खुरई/शाहगढ़/राहतगढ़/मालथौन/गढ़ाकोटा/केसली

(3) निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर

(4) आब्जेक्शन क्लर्क पंजीयन अनुभाग, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(5) जे.एस.ए. सागर कम्प्यूटर अनुभाग सागर की ओर आदेश की प्रति सभी संबंधित को ई–मेल के माध्यम से संसूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

8.11.2024

(एम.के.शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सागर